संख्या–1027 / पांच–7–2018

प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक,
जिला चिकित्सालय,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–7 **लखनऊ : दिनांक 17 सितम्बर, 2018**

विषयः **उ0प्र0 में मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम, (The Mental Healthcare Act) 2017 के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम, 2017 महामहिम राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति से लागू किया गया है तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अत्यंत गम्भीर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई–दिल्ली द्वारा मानसिक रोगियों तथा मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रकरणों की निगरानी की जा रही है। विषय की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये समस्त राज्य सरकारों से मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम–2017 को अक्षरशः लागू कराने की अपेक्षा की गयी है। अतः उपरोक्त अपेक्षा के क्रम में मानसिक रोगियों को मानसिक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान कराये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है :–

(1) गंभीर मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख सेवाओं जैसे बाहरी रोगी (ओ0पी0डी0) और आंतरिक रोगियों (आई.पी.डी.) की व्यवस्था करना, जिससे रोगी की स्वास्थ्य देख–रेख के सभी स्तरों यथा–प्राथमिक / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला चिकित्सालयों पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराया जा सके जिससे मानसिक रोगियों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं हेतु लंबी दूरी की यात्रा न करनी पड़े।

2– अधिनियम के अध्याय–6 में राज्य सरकार से संबंधित कार्यो का विस्तृत उल्लेख है, जिसमें प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक स्तर से निम्नलिखित कार्यो का निष्पादन किया जाना है :–

(1) प्रत्येक जिले में मुख्य चिकित्साधिकारी / जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा कि मानसिक रोगियों का समुचित उपचार सुनिश्चित करायें एवं काउंसलिंग की सेवाएं उपलब्ध करायें जैसे–जिला काउंसलिंग सेन्टर / मन–कक्ष की स्थापना।

(2) मानसिक रोगियों हेतु भर्ती की सुविधा उपलब्ध कराना।

(3) मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम, 2017 अध्याय–5 एवं अध्याय–6 में दिये गये प्राविधानों के अनुपालन में प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला चिकित्सालय स्तर पर मानसिक रोग विधा की औषधियाँ उपलब्ध कराया जाना।

(4) लोक स्वास्थ्य स्थापना में मानसिक दिव्यांग बच्चों, मानसिक रोगियों एवं व्यक्तियों हेतु निम्नलिखित वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए :–

अ) साइक्लोजिकल टूल्स
ब) ईसीटी मशीन (सेरेब्रल स्टीमूलेशन सुविधा के साथ)
म) बायो–फीड बैक मशीन
स) ब्यॉल्स ट्रोली
द) सक्शन मशीन
प) आक्सीजन सिलेन्डर
फ) इमरजेन्सी ट्रे
म) एएमबीयू बैग
य) स्फिग्नोमैनोमीटर (बीपी इस्टूमेन्ट)
र) वैंइंग मशीन

लोक स्वास्थ्य स्थापन में उपरोक्त अतिआवश्यक वस्तु/सामग्रियों/मशीनों की उपलब्धता करना/करवाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जनपद चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का होगा।

3– जनजागरूकता हेतु समुचित आई0ई0सी0 कार्यक्रमों का समय–समय पर संचालन कराना, जिसके विस्तृत दिशा निर्देश समय–समय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

4– मानसिक स्वास्थ्य उपचार से सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार को कम करने हेतु प्रत्येक स्तर पर कार्यरत् अधिकारी एवं कर्मचारियों को मानोरोग विधा में प्रशिक्षित किये जाने हेतु मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम, 2017 के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने स्तर से प्रशिक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करें। इस हेतु राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम का सहयोग लिया जा सकता है।

5– अधिनियमानुसार मानसिक दिव्यांगों/मानसिक रोगियों को सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का समुचित लाभ मिल सकें इस आशय से अर्न्तविभागीय समन्वय स्थापित किया जाना अपेक्षित है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त विवरण के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम, 2017 में मानसिक रोगियों की देख–रेख किये जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव।

संख्या– /पांच–7–2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3. निदेशक(स्वास्थ्य), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(असीम कुमार सिंह)
अनु सचिव।

(4) लोक स्वास्थ्य स्थापना में मानसिक दिव्यांग बच्चों, मानसिक रोगियों एवं व्यक्तियों हेतु निम्नलिखित वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए :–

अ) साइक्लोजिकल टूल्स
ब) ईसीटी मशीन (सेरेब्रल स्टीमूलेशन सुविधा के साथ)
म) बायो–फीड बैक मशीन
स) ब्यॉल्स ट्रोली
द) सक्शन मशीन
प) आक्सीजन सिलेन्डर
फ) इमरजेन्सी ट्रे
म) एएमबीयू बैग
य) स्फिग्नोमैनोमीटर (बीपी इस्टूमेन्ट)
र) वैंइंग मशीन

लोक स्वास्थ्य स्थापन में उपरोक्त अतिआवश्यक वस्तु/सामग्रियों/मशीनों की उपलब्धता करना/करवाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जनपद चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का होगा।

3– जनजागरूकता हेतु समुचित आई0ई0सी0 कार्यक्रमों का समय–समय पर संचालन कराना, जिसके विस्तृत दिशा निर्देश समय–समय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

4– मानसिक स्वास्थ्य उपचार से सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार को कम करने हेतु प्रत्येक स्तर पर कार्यरत् अधिकारी एवं कर्मचारियों को मानोरोग विधा में प्रशिक्षित किये जाने हेतु मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम, 2017 के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने स्तर से प्रशिक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करें। इस हेतु राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम का सहयोग लिया जा सकता है।

5– अधिनियमानुसार मानसिक दिव्यांगों/मानसिक रोगियों को सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का समुचित लाभ मिल सकें इस आशय से अर्न्तविभागीय समन्वय स्थापित किया जाना अपेक्षित है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त विवरण के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम, 2017 में मानसिक रोगियों की देख–रेख किये जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(वी0 हेकाली झिमोमी)
सचिव।

संख्या– 1027(1)/पांच–7–2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3. निदेशक(स्वास्थ्य), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(असीम कुमार सिंह)
अनु सचिव।